

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश.**ऑडिट भवन, झोंसी रोड, ग्वालियर- 474002****क्र.प्रशा. 12/स.3/अनु.नियु./का.आ./****दिनांक:11-08-2026****कार्यालय आदेश-76****Office Order-76**

मुख्यालय के पत्र क्रमांक 141-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./02-2026 दिनांक 06.07.2026 के साथ प्राप्त DoP&PW, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India के O.M. No. 57/05/2021-P&PW(B)/Compassionate/10593 दिनांक 22.06.2026 के तारतम्य में, इस कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित कर्मचारियों, जिन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 31.12.2003 को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किए थे, को उक्त O.M. में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत पेंशन में अंतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

In terms of DoP&PW, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, O.M. No. 57/05/2021-P&PW(B)/Compassionate/10593 dated 22.06.2026 received vide Headquarters' Letter No. 141-Staff Entt. (Rule)/A.R./02-2026 dated 06.07.2026, approval is hereby accorded for the following employees, appointed in this office on compassionate grounds and who had submitted their applications for compassionate appointment on or before 31.12.2003, to switch over from the National Pension System (NPS) to the pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in accordance with the provisions contained in the aforesaid O.M.:-

Sl. No.	Name & Designation	Date of Application for Compassionate Appointment	Date of Joining
1.	श्री राकेश कुमार शाक्यवार, सहायक पर्यवेक्षक / Shri Rakesh Kumar Shakyawar, Assistant Supervisor (03/10503)	09.09.2003	10.01.2005
2.	श्री सतीश बिरबिया, सहायक पर्यवेक्षक / Shri Satish Birbiya, Assistant Supervisor (03/10504)	18.12.2003	10.01.2005
3.	श्रीमती उर्मिला देवी, भूतपूर्व एम.टी.एस. / Smt. Urmila Devi, Ex-MTS (05/10505)	17.03.2003	10.01.2005

उक्त अंतरण की कार्यवाही Department of Pension & Pensioners' Welfare के O.M. No. 57/05/2021-P&PW(B)/Compassionate/10593 दिनांक 22.06.2026 तथा अन्य प्रचलित नियमों/निर्देशों के अधीन होगी। श्रीमती उर्मिला देवी, Ex-MTS, के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके संबंध में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनर्निर्धारण/संशोधन की आवश्यक कार्यवाही संबंधित अनुभाग द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी।

The aforesaid switch-over shall be subject to the provisions contained in DoP&PW O.M. No. 57/05/2021-P&PW(B)/Compassionate/10593 dated 22.06.2026 and the extant rules/instructions on the subject. Since Smt. Urmila Devi, Ex-MTS, has since retired from Government service, necessary action regarding revision/modification of her pension and other retirement benefits shall be taken by the concerned section in accordance with the extant rules.

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

क्र. प्रशा. 12/स.3/अनु. नियु./का.आ./

दिनांक:-11-08-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, म.प्र. ग्वालियर ।
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-11) का कार्यालय, म०प्र० भोपाल ।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, म.प्र. ग्वालियर
4. उप निदेशक, (केन्द्रीय प्राप्ति), महानिदेशक (केन्द्रीय प्राप्ति) लेखापरीक्षा का कार्यालय, नई दिल्ली, शाखा-ग्वालियर ।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, 12, 13,14 गोपनीय कक्ष, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशिक्षण एवं परीक्षा, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, हिंदी कक्ष, IS wing ।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन- 14, एवं पेंशन सेल को उपर्युक्त कर्मचारियों के NPS से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में अंतरण के संबंध में प्रचलित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आवश्यक आगामी कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।
7. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले एवं हक.) का कार्यालय, म.प्र. ग्वालियर ।
8. श्री महेश कुमार अलोरिया, स.ले.प.अ./प्रशा-14 को इंटरनेट/ इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु ।
9. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर.
10. सम्बंधित कर्मचारी ।
11. सूचना पटल/गार्ड फाइल.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12